निर्णय ब इजलास डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 566/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. प्रेम उर्फ प्रेमनारायण पुत्र स्व॰ श्री ग्यारसीलाल, जाति माली, निवासी लेडक्यों की ढाणी, पीली की तलाई, कस्बा आमेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती शारदा पत्नी स्व॰ श्री रामनारायण सैनी
2. अजय सैनी पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण सैनी
3. सुमित सैनी पुत्र स्व॰ श्री रामनारायण सैनी
4. गोविन्द उर्फ गोविन्द नारायण सैनी पुत्र ग्यारसा
5. नन्द किशोर सैनी पुत्र श्री गोविन्दनारायण
6. अशोक कुमार सैनी पुत्र श्री गोविन्दनारायण
7. राधेश्याम सैनी पुत्र श्री हरिनारायण सैनी
8. राजेश सैनी पुत्र श्री हरिनारायण सैनी

जाति माली, निवासी लेडक्यों की ढाणी, पीली की तलाई, कस्बा आमेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 46/2025 ब–उनवानी श्रीमती शारदा बनाम गोविन्द उर्फ गोविन्द नारायण व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री ऋषि राज यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री सुजीत कुमार अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 एवं 6 की ओर से।
3. श्री सचिन शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 7 एवं 8 की ओर से।

निर्णय दिनांक 11.11.2025

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 46/2025 ब–उनवानी श्रीमती शारदा बनाम गोविन्द उर्फ गोविन्द नारायण व अन्य विचाराधीन है, जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण करने का निवेदन किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 5 एवं 6 की ओर से अभिभाषक श्री सुजीत कुमार एवं अप्रार्थी संख्या 7 एवं 8 की ओर से अभिभाषक श्री सचिन शर्मा ने वकालतनामा पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जो हर पेशी पर विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता के कहने के अनुसार कानूनी प्रक्रिया का उल्लघंन कर प्रोसिडिंग्स करते है। उक्त प्रकरण में गत पेशी दिनांक 13.05.2025 को नियत थी जिसमें प्रार्थी ने अपने

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधिवक्ता के माध्यम से आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश करवाया था और उसी दिन एक अन्य पक्षकार ने आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया था, लेकिन इसके पश्चात पीठासीन अधिकारी ने उसी दिन प्रकरण का निस्तारण करने हेतु अड गए और प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया और आदेश 22 नियम 10 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र को उसी दिन विना जवाव ही सुनकर स्वीकार कर लिया गया और प्रार्थी की एक वात नहीं सुनी और पीठासीन अधिकारी ने वमुश्किल नाराज होते हुये नजदीक की तारीख पेशी नियत कर दी। नियत पेशी पर प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित हुये तो घंटो तक आदेश सुनने के लिये न्यायालय में वैठे रहते है जवकि विपक्षीगण के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी के चैम्वर में घंटो एक साथ वैठे रहते है और वातचीत करते रहते है ओर प्रार्थी को विना सुने ही छोटी छोटी तारीख पेशी देते रहते है ओर वादी के हक में फैसला करने हेतु कहते रहते है। पीठासीन अधिकारी ने प्रार्थी के अधिवक्ता को अपने चैम्वर में वुलाकर विपक्षीगण के हक में फैसला करने की मंशा जाहिर करते हुये नाराज हो गये, जिससे प्रार्थी के मन में पीठासीन अधिकारी से प्रकरण में न्याय मिलने पर संशय पैदा हो गया है। पीठासीन अधिकारी हर पेशी पर विपक्षी वादीगण व उनके अधिवक्ता के न्यायालय में न आने पर भी उनकी ओर से पैरवी करते है और वैठे–वैठे प्रार्थी के वकील को स्वतः ही सारे प्रकरण के बारे में वातचीत कर न्याय का गला घोटते हुये विपक्षीगण के पक्ष में फैसला करने की इच्छा जाहिर करते रहते है। विपक्षी एवं उनके अधिवक्ता आये दिन पेशी से पूर्व व पेशी के बाद वरवक्त पेशी अपने पक्ष में पीठासीन अधिकारी से आदेश व फैसला कराने की वात करते है। प्रार्थी के द्वारा पीठासीन अधिकारी को मृत खातेदार के विरूद्ध दावा पेश होने का कहने पर भी अपना ध्यान नहीं देते है और ना ही बात पर सुनवाई करते है कि विधिक वारिसों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये लेकिन फिर भी पीठासीन अधिकारी का वर्ताव विपक्षी के पक्ष में रहता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से किसी प्रकार का निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए उक्त प्रकरण को न्यायहित में मुन्तकिल किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

अप्रार्थीगण संख्या 5 से 6 एवं 7 से 8 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनघडन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी आमेर ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपो के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी के केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे उक्त प्रकरण

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थी द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी आमेर जिला जयपुर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर